कार्यालय, बिहारशरीफ नगर निगम,(नालन्दा)

पत्रांक............/

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम।

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी,
स्थानीय लेखा परीक्षा,
सामाजिक प्रक्षेत्र-1
कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा)
बिहार पटना।

बिहारशरीफ,दिनांक............................/

विषयः- **अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 484/2007-08 में लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषण के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अनुरोधपूर्वक कहना है कि अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 484/2007-08 में अंकित लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस समर्पित अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित कंडिकाओं को विलोपित करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0

नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम

ज्ञापांक 3570 / दिनांक 29-11-18 /

प्रतिलिपिः- विशेष सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
बिहारशरीफ नगर निगम

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0-484/2007-08 में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन।

कंडिका	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये अपत्ति	वस्तुस्थिति/अनुपालन प्रतिवेदन।
12(i)to(iii)	अनुदान का विचलन राशि 52. 22 लाख, 2.80 लाख,2.09 लाख।	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये अपत्ति के आलोक में कहना है कि आंतरिक संसाधन की कमी एवं कर्मियों का वेतन भत्ता आदि में आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण कर्मियों का भुगतान नहीं हो पा रहा था, इस कारण सफाई कर्मियों एवं अन्य कर्मियों के द्वारा हड़ताल एवं कार्य करने में बाधा उत्पन्न किया जा रहा था इस लिए मजबूरन अनुदान मद की राशि से स्थापना मद में 52.02 लाख रुपये तथा विद्युत विपत्र में 2.09 लाख व्यय किये गये। उपरोक्त विचलन की पुनरावृति ना हो इसका पूरा-पूरा ध्यान रखा जा रहा है जिसे आगे अंकेक्षण दल को दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
15	मांग एवं संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया जाना।	उक्त के आलोक में कहना है कि मॉग एवं संग्रहण पंजी का संधारण कर लिया गया है, एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 से ऑन-लाईन प्रकिया से संपत्ति कर वसूली स्वकर निर्धारण के आधार पर किया जा रहा है। अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
16	होल्डिंग कर का पुनरीक्षण नही किया जाना।	होल्डिंग कर पुनरीक्षण से संबंधित अंकेक्षण में उठाये गये आपत्ति के आलोक में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग के निदेशानुसार सर्वप्रथम GIS के माध्यम से बेस मैप तैयार किया जाना है उसके उपरांत वेस मैप के आधार पर डोर टू डोर सम्पत्ति कर सर्वेक्षण का काम किया जाना है। GIS वेस मैप तैयार किया जा चुका है। इसलिए निगम होल्डिंग पुनरीक्षण का कार्य स्वय के स्तर से नहीं कर पा रही है अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
कंडिका 17(i)	होल्डिंग के वार्षिक मूल्य के मुल्यांकन के कारण राजस्व में हानि।	उक्त के आलोक मे कहना है कि नगर निगम के अंतर्गत बिहार सम्पति कर नियमावली 2013 के अनुसार स्व-कर निर्धारण प्रणाली लागू कर दी गई है जिसमें प्रत्येक करदाता को स्व-कर प्रपत्र भरना अनिवार्य कर दिया गया है जिसके आधार पर विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये ई0म्युनिसपलिटी के अंतर्गत साफ्टवेयर के माध्यम से सम्पत्ति-कर की गणना करने के उपरांत ही वसूली की जाती है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित

नगर आयुक्त
बिहार शरीफ नगर निगम
नालन्दा

		किया जाए।
17(ii)	होल्डिंग के वार्षिक मूल्य अनियमित कमी के कारण नुकसान।	इसके संबंध में कहना है कि समय-समय पर विभाग के द्वारा बकाया राशि की वसूली हेतु विशेष प्रस्ताव लाया जाता रहा है इसके उपरांत ही इस प्रकार की वसूली की जाती है साक्ष्य के रूप में विभाग के द्वारा निर्गत पत्र सलग्न किया जा रहा है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
18	शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस को जमा नहीं किया जाना।	अंकेक्षण के दौरान उठाये गये आपत्ति के आलोक में कहना है कि शिक्षा सेस एवं स्वास्थ्य सेस को जानकारी के आभव में जमा नहीं किया जा सका था लेकिन अंकेक्षण प्रतिवेदन में सुझाये गये राशि को जमा करने की प्रकिया की जा रही है जिसे कि अगले अंकेक्षण में दिखा दी जायेगी अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
19	सरकारी भवनों पर बकाया	उक्त संबंध में कहना है कि समय-समय पर सरकारी भवनों पर बकाया से संबंधित मॉग नोटिस जारी किया जाता रहा है और वर्त्तमान में भी किया जा रहा है जिसके आधार पर सरकारी भवनों से वसूली भी की गई है और इस संबंध में विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसकी सूची विभाग को भी समय-समय पर मॉग किये जाने पर उपलब्ध कराया जाता है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है, अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
20(i)	वित्तीय अनियमितता रोकड़पाल के द्वारा राशि 75838/- नगर निधि के खाते में जमा नहीं किया जाना।	उक्त के संबंध में कहना है कि रोकड़पाल के द्वारा अंकेक्षण आपत्ति के दौरान सुझाये गये राशि को जमा कराने की कार्रवाई की जा रही है। जिसे आगे अंकेक्षणदल को दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
20(ii)	नगर निधि खाते में राशि 0.89 लाख कम जमा।	उक्त के संबंध में कहना है कि रोकड़पाल के द्वारा अंकेक्षण आपत्ति के दौरान सुझाये गये राशि को जमा कर दिया गया है। जिसे आगे अंकेक्षणदल को दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

29/11/12

नगर आयुक्त
बिहार शरीफ नगर निगम
नालन्दा

29/11/18

29/11/18

20(xi)	टाल वसूली कम जमा/नहीं जमा।	अंकेक्षण के दौरान सुझाये गये आपत्ति के आलोक में संबंधित कर्मीयो के उपर कार्रवाई की गई है एवं कम जमा राशि 63500 को संबंधित कर्मी से वसूली कर अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
23(i)	बिहार बिक्री कर की कम कटौती से सरकार के राजस्व को हानि राशि 1.72 लाख।	उक्त के संबंध में कहना है कि निगम के अंतर्गत दक्ष कर्मी नहीं होने के कारण जानकारी के अभाव में भूलवश इस प्रकार गलती हो गई थी अब इस में सुझाये गये दिशा निर्देश के अनुसार कटौती की जा रही है। संबंधित व्यक्तियों से वसूली की भी कार्रवाई की जा रही है। जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
23(ii)	ACC Ltd. के द्वारा Cement की कम आपूर्ति किये जाने के कारण अधिक भुगतान।	उक्त के संबंध में कहना है कि ACC Ltd. पटना के द्वारा Cement के आपूर्ति के आलोक में ही भुगतान की गई है, उक्त अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर अर्पूण था, इस वजह से सिमेन्ट के अपूर्ति कम हो गई थी जिसमें सुधार कर दी गई है। जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
27	रॉयाल्टी एवं बिहार बिक्री कर/वैट की कटौती राशि को संबंधित विभाग के खातों को जमा नहीं किया जाना।	उक्त से संबंध में कहना है कि जानकारी के अभाव में राशि जमा नहीं किया जा सका था। अतः अपत्ति के दौरान सुक्षाये गये राशि संबंधित सरकार के खाते में जमा कराने की प्रकिया की जा रही है। जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिको को विलोपित किया जाए।
28	सप्लायर्स से आयकर एवं वैट की कटौती नहीं किया जाना है।	वर्तमान में सुझाये गये दिशा निर्देश के अनुसार कटौती की जा रही है। संबंधित व्यक्तियों से वसूली की भी कार्रवाई की जा रही है। जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
29एवं36, iii	दैनिक कर्मी को भुगतान राशि 2. 24 लाख।	उक्त के संबंध में कहना है कि निगम में कर्मीयों की कमी को देखते हुये सभी वार्डो में सफाई के व्यवस्था नहीं के बराबर हो पाती थी जिससे की जनता का कोपभाजन हमेशा कार्यालय को झेलना पड़ता है। इसके अलवा विशेष कर त्योहारों के समय तो ज्यादा कर्मी की आवाश्यकता पड़ती है बोर्ड के द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में दैनिक आधार पर कर्मी को रख कर ही

29/11/18　　29/11/18　　27/11/18

नगर आयुक्त
बिहार शरीफ नगर निगम
नालन्दा

		कार्य कराई जाती है एवं उसका भुगतान उसी के आधार पर किया गया है। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
37	वेतन निकासी परन्तु भुगतान नहीं किया जाना (राशि1.62 लाख)	उक्त के संबंध में कहना है कि निकासी की गई वेतन मद की राशि का भुगतान संबंधित कर्मी को कर दी गई है जिसका साक्ष्य संलग्न किया जा रहा है अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
40.	अभिश्रव उपलब्ध नहीं कराया जाना राशि (103.33लाख)	उक्त के संबंध में कहना है की अंकेक्षण के दौरान अभिश्रव नहीं दिखाया जा सका था जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए। साक्ष्य संलग्न
41(i,ii,iii)	अग्रिम पंजी का संधारण नहीं किया जाना।	अंकेक्षण के अपत्ति के आलोक में कहना है कि अग्रिम पंजी का संधारण किया जा रहा है जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।
41(iv)	अग्रिम राशि का समायोजन नहीं किया जाना (राशि 2.83 लाख)	उक्त के संबंध में कहना है कि अग्रिम राशि का समायोजन कर दिया गया है जिसे की अगले अंकेक्षण के दौरान दिखा दी जायेगी। अतः अनुरोध है कि इस कंडिका को विलोपित किया जाए।

29/11/18

29/11/18

27/11/18
नगर आयुक्त
बिहार शरीफ नगर निगम
नालन्दा